GCMS 2019 / 00001

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 26/2019 तारीख दायर :–20.09.2019 दिनांक निर्णय :–04.07.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का दुब्बी तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

लटूर पुत्र फैलीराम जाति मीना ग्राम प्रतापपुरा तहसील राजगढ़ अलवर

<u>अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91</u>

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल लटूर पुत्र फैलीराम जाति मीना निवासी प्रतापपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम प्रतापपुरा के गैर मुमकिन रास्ता आ0ख0न0 401 रकबा 0.03 हे0 पर सम्वत 2076 में 0.02 हे0 पर बाजरा व शेष रकबे पर पानी की टंकी व दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल की ओर से लटूर उपस्थित आया। गैरसायल की ओर से नोटिस जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब में अतिक्रमण को हटाया जाने का कथन किया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.09.2019 के अनुसार गैरसायल द्वारा बाज़रा, पानी की टंकी व दीवार बनाकर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल लटूर पुत्र फैलीराम जाति मीना निवासी प्रतापपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरूद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का दुब्बी को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 04.07.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जुगिता देवी मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 10 पर सि.च.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार